



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 2004/अग्रहायण 4, 1926

No. 519]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2004/AGRAHAYANA 4, 1926

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2004

**सा.का.नि. 766(अ).**— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित] से परामर्श के पश्चात कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 में,-

(1) पैरा 1 के उपपैरा (2) में खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसकी समादत पूंजी और आरक्षितियां पचास लाख रूपए से अधिक नहीं हैं और जिसपर किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पच्चीस लाख रूपए से अधिक का ऋण बकाया नहीं है और जिसका व्यापारावर्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पांच करोड रूपए से अधिक नहीं है ।”

(2) पैरा 2 में खंड (ग) से (झ) का लोप किया जाएगा ;

(3) पैरा 4 में,

(क) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) (क) क्या कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण दिए हैं ? यदि ऐसा है तो पक्षकारों की संख्या और उन संव्यवहारों में अंतर्वलित रकम बताएं ; और

(ख) क्या कंपनी द्वारा दिए गए प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋणों पर ब्याज की दर और उनके अन्य निबंधन और शर्तें प्रथमदृष्टया कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ; और

(ग) क्या मूल रकम और ब्याज की प्राप्ति भी नियमित है ; और

(घ) यदि अतिशोध्य रकम एक लाख रुपए से अधिक है तो क्या कंपनी द्वारा मूल रकम और ब्याज की वसूली के लिए युक्तियुक्त उपाय किए गए हैं ;

(ङ) क्या कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण लिए हैं ? यदि ऐसा है तो पक्षकारों की संख्या और उन संव्यवहारों में अंतर्वलित रकम बताएं ; और

(च) क्या कंपनी द्वारा लिए गए प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋणों पर ब्याज की दर और उनके अन्य निबंधन और शर्तें प्रथमदृष्टया कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ; और

(छ) क्या मूल रकम और ब्याज की प्राप्ति भी नियमित है ।”;

(ख) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) क्या माल सूची और नियत आस्तियों के क्रय के लिए तथा माल और सेवाओं के विक्रय के लिए कंपनी के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है । क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रमुख कमियों को दूर करने में निरंतर असफलता हाथ लगी है ;”

(ग) खंड (v) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) क्या अधिनियम की धारा 301 में निर्दिष्ट संविदाओं या ठहरावों की विशिष्टियों की उस धारा के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है ; और

(ख) क्या ऐसी संविदाओं या ठहरावों के अनुसरण में किए गए संव्यवहारों को ऐसी कीमतों पर किया गया है, जो सुसंगत समय पर प्रचलित बाजार-कीमतों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हैं ;

(घ) खंड (vi) में,

(i) “अधिनियम की धारा 58क और धारा 58कक के उपबंधों” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “अधिनियम की धारा 58क, धारा 58कक के या किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ii) “कंपनी विधि बोर्ड” शब्दों के स्थान पर “कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (ix) में

(i) उपखंड (क) में “धन कर” शब्दों के स्थान पर “धन कर, सेवा कर” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) यदि किसी विवाद के कारण आयकर/विक्रय कर/धन कर/सेवा कर/ सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क/उपकर के देय जमा नहीं किए गए हैं, तब अंतर्वलित रकमों और उस न्यायालय अधिकरण का, जहां विवाद लंबित है, उल्लेख किया जाएगा ।”

(घ) खंड (x) में “ऐसे वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में भी” शब्दों के स्थान पर “ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में” शब्द रखे जाएंगे ।

(छ) खंड (xiii) में,

(i) उपखंड (ख) में “चूक” शब्द के स्थान पर “संदेहास्पद” शब्द रखा जाएगा ।

(ii) उपखंड (घ) में “और वह उधार की रकम की वसूली के लिए सहायक हो सकेगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ज) खंड (xiv) में, “अन्य प्रतिभूतियां” शब्दों के स्थान पर “अन्य विनिधान” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) खंड (xvii) में, “और विपर्ययेन” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ञ) खंड (xix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(xix) क्या प्रतिभूति या प्रभार को निर्गमित डिबेंचरों की बाबत सृजित किया गया है ;”

[फा. सं. 2/28/2002-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 480(अ), तारीख 12 जून, 2003 द्वारा जारी किया गया था।

## MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2004

**G.S.R. 766(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and after consultation with the Institute of Chartered Accountants of India [constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)], the Central Government hereby makes the following amendments in Companies (Auditor’s Report) Order, 2003, namely:-

1. (1) This Order may be called the Companies (Auditor’s Report) (Amendment) Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Auditor’s Report) Order, 2003, -

(1) In paragraph 1, in sub-paragraph (2), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

**“(iv) a private limited company with a paid up capital and reserves not more than rupees fifty lakh and which does not have loan outstanding exceeding rupees twenty five lakh from any bank or financial institution and does not have a turnover exceeding rupees five crore at any point of time during the financial year”.**

(2) in paragraph 2, the clauses (c) to (i) shall be omitted;

(3) in paragraph 4,

(a) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

**“(iii) (a) has the company granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. If so, give the number of parties and amount involved in the transactions; and**

**(b) whether the rate of interest and other terms and conditions of loans given by the company, secured or unsecured, are prima facie prejudicial to the interest of the company; and**

**(c) whether receipt of the principal amount and interest are also regular; and**

**(d) if overdue amount is more than rupees one lakh, whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;**

**(e) has the company taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. If so, give the number of parties and the amount involved in the transactions; and**

**(f) whether the rate of interest and other terms and conditions of loans taken by the company, secured or unsecured, are prima facie prejudicial to the interest of the company; and**

**(g) whether payment of the principal amount and interest are also regular.”**

(b) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

**“(iv) is there an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Whether there is a continuing failure to correct major weaknesses in internal control system;”**

(c) in clause (v), for sub-clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

**“(a) whether the particulars of contracts or arrangements referred to in section 301 of the Act have been entered in the register required to be maintained under that section; and**

***(b) whether transactions made in pursuance of such contracts or arrangements have been made at prices which are reasonable having regard to the prevailing market prices at the relevant time;***;

(d) in clause(vi),

(i) for the words, figures and letters “sections 58A and 58AA of the Act”, the words, figures and letters “***sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Act***” shall be substituted.

(ii) for the words “Company Law Board”, the words “***Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any Court or any other Tribunal***” shall be substituted;

(e) in clause (ix)

(i) in sub-clause (a), for the words “Wealth tax”, the words “***Wealth tax, Service tax***” shall be substituted;

(ii) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted; namely:-

***“(b) in case dues of Income tax/ Sales tax /Wealth tax/ Service tax/ Custom duty/ Excise duty/ cess have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned.”***

(f) in clause (x), for the words “in the financial year immediately preceding such financial year also” the words “***in the immediately preceding financial year***” shall be substituted;

(g) in clause (xiii);

(i) in sub-clause (b), for the word “default” the word “***doubtful***” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (d), the words “***and would be conducive to recovery of the loan amount***” shall be omitted;

(h) in clause (xiv), for the words “other securities”, the words “***other investments***” shall be substituted;

(i) in clause (xvii), the words “***and vice-versa***” shall be omitted.

(j) in clause (xix), for the words “securities have”, the words “***security or charge has***” shall be substituted.

[F. No. 2/28/2002-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

**Note :**

The Principal Order was issued *vide* notification number G.S.R. 480(E), dated the 12th June, 2003.